


18/3/25

पत्रांक पेश है। वादी वकील उप. नही। न ही  
वादी उपस्थित। वादी व उसकी वकील को एक-एक  
कर आवाज लगायी गयी। कोई उपस्थित नहीं।  
अतः पत्रावली अफम पैरवी - अफम हाजरी में  
जा रिज ही जाती है। पत्रावली जमाना सुकाल हेमर  
पारिजल पफतार है और नम्वर से मत है।



उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)